मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल- 462004

A-586

-0-

क्रमांक 1/1/1/0094/2025/42-1 भोपाल, दिनांक 29.04.2025

प्रति,

सचिव,
मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
शिवाजी नगर, भोपाल.

विषय:-तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के द्वितीय वर्ष उत्तीर्ण विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की भावना के अनुरूप 10+2 (बारहवीं) के समकक्ष मान्य किये जाने संबंधी।

संदर्भ:-विभागीय पत्र क्रमांकक्रमांक 1093/55/2022/42-1, दिनांक 11.07.2024।

-0-

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित संलग्न पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त डिप्लोमा पाठ्यक्रम को 12वीं के समकक्ष मान्य किये जाने के संबंध में आपको लेख किया गया था।

(2) 10वी परीक्षा के पश्चात् 02 वर्षीय आईटीआई पाठ्यक्रम को 12वीं के समतुल्य मान्य किया गया है। अतः एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त एवं 10वीं परीक्षा के माध्यम से प्रवेशित तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठयक्रम के द्वितीय वर्ष उत्तीर्ण विद्यार्थियों को मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 12वीं परीक्षा के समतुल्य मान्य किये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध है।

(3) राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल से प्राप्त संलग्न पत्र क्रमांक-08, दिनांक 21.04.2025 के द्वारा भी तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के द्वितीय वर्ष उत्तीर्ण विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की भावना के अनुरूप 10+2 (बारहवीं) के समकक्ष माने जाने संबंधी प्रस्ताव को उचित बताया गया है।

उपरोक्तानुसार आपके स्तर से समुचित कार्यवाही किये जाने का अनुरोध है।

संलग्नः-उपरोक्तानुसार।

Digitally signed by
Dr.Santosh Kumar Gandhi
Date: 29-04-2025

(डॉ. एस.के. गाँधी)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
म.प्र. शासन
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार
विभाग

A-586

पृ.क्रमांक 1/1/1/0094/2025/42-1 भोपाल, दिनांक 29.04.2025

प्रतिलिपि:-1. निज सहायक, सचिव, म.प्र.शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग को सूचनार्थ।

2. आयुक्त, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर इस आशय के साथ कि प्रकरण में मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल से समन्वय कर कार्यवाही सुनिश्चित करवाने का कष्ट करें।

Sd/-
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
म.प्र. शासन
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग